न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

विविध अपील वाद संख्या–01/2019–20

1. नारायण साव पिता स्व0 जानकी नायक
2. राधे साव पिता स्व0 चितो नायक
3. राजू साव पिता धनपत साव

सभी निवासी ग्राम– जीतकुण्डी, थाना– बिरनी, जिला– गिरिडीह .....प्रथम पक्ष

बनाम्

1. नकुल साव पिता चेतो साव

साकिन– जीतकुण्डी, थाना– बिरनी, जिला– गिरिडीह ..... द्वितीय पक्ष

आदेश

दिनांक 26.08.2020

अंचल अधिकारी, बिरनी के विविध वाद संख्या 07/2018 में दिनांक 26.03.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी श्री नारायण साव एवं अन्य द्वारा वाद दायर किया गया है। विवादित भूमि थाना नं0– 40, खाता नं0– 06, प्लॉट नं0– 567, रकवा– 0.84 डी0, ग्राम– जीतकुण्डी, थाना– बिरनी, अनुमंडल बगोदर–सरिया, जिला– गिरिडीह से संबंधित है और दोनों पक्षों के बीच इस खाता प्लॉट के जमीन संबंधित विवाद है।

अपीलार्थी का कहना है कि–

1. 10.78 एकड़ कुल जमीन खाता नं0– 06 जो बकास्त जमीन था और उनके पूर्वज डालो तेली, बालो तेली एवं पोखन तेली तीन सहोदर भाई थे और तीनों भाई मिलकर इस जमीन को बंदोबस्त कराये थे परंतु एक भाई बालो तेली का बंदोबस्त के बाद देहान्त हो गया और उनको कोई आल–औलाद नहीं था इसलिए उनके मरने के बाद उक्त दोनों भाई डालो तेली वो पोखन तेली सम्मिलात रूप से पूरे 10.78 एकड़ जमीन अपने दखलकब्जा में लेकर उसपर अपना फसल वगैरह उपजाकर अपने–अपने उपभोग में लाये और जमींदारी उन्मूलन के पूर्व उक्त सभी जमीन को दोनों भाई आपस में आधा–आधा बंटवारा कर लिए और अपना–अपना दखलकब्जा में लाए और अपने जीवनकाल में जमींदारी उन्मूलन के पूर्व जमींदार को मालगुजारी देकर रसीद हासिल किये और उनलोगों के देहान्त के बाद उनके

उत्तराधिकारीगण दखलकब्जा में आए और पूर्व बंटवारा के अनुसार दखलकब्जा में रहे।

2. अपीलार्थी का यह भी कथन है कि प्रश्नगत 0.84 डी0 जमीन प्लॉट नं0– 567 उस बंटवारा में शामिल था इसलिए पूर्वज के मरने के बाद उनके उत्तराधिकारी के बीच किसी तरह का विवाद पैदा नहीं हुआ और जमींदारी उन्मूलन के बाद उक्त डालो तेली एवं पोखन तेली के उत्तराधिकारी के नाम से अंचल कार्यालय में अलग–अलग पंजी– II में दर्शाया गया है और उसी अनुसार सभी उत्तराधिकारी दखलकब्जा में चले आ रहे हैं परंतु वर्ष 2000 में दोनों पूर्वज के उत्तराधिकारी के बीच अनावश्यक जमीन बंटवारे को लेकर विवाद खड़ा हो गया इसलिए वर्ष 2000 में पोखन तेली के उत्तराधिकारी जानकी तेली वगैरह एक बंटवारा केश व्यवहार न्यायालय, गिरिडीह में दिनांक 22.11.2000 को दाखिल किये जिसका बंटवारा केश नं0– 64/2000 है, इसके बाद पोखन तेली और डालो तेली के उत्तराधिकारी इस मुकदमा को आगे लड़ना नहीं चाह रहे थे और आपस में घरैया समझौता हो गया दिनांक 25.07.2003 को इसलिए दोनों पक्ष मुकदता में पैरवी करना छोड़ दिए जिस कारण दिनांक 04.03.2004 को न्यायालय ने इस बंटवारा केश को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मुकदमा दायरकर्त्ता को मुकदमें में कोई रूची नहीं है इसलिए मुकदमा खारिज किया जाता है।

3. अपीलार्थी का यह भी कथन है कि अंचल कार्यालय बिरनी में केवल डालो तेली का एक ही उत्तराधिकारी नकुल साव एक आवेदन देकर अंचल अधिकारी से अनुरोध किया कि प्लॉट नं0– 567 खाता नं0– 06 का कुल रकवा– 0.84 डी0 जमीन उसके पूर्वज सिर्फ डालो तेली का ही था। अंचल अधिकारी, बिरनी ने स्थानीय हल्का कर्मचारी, बिरनी से एक प्रतिवेदन नकुल साव के आवेदन पर मांग किये जिसपर हल्का कर्मचारी ने बिना कानूनसंगत एक प्रतिवेदन आवेदन नकुल साव के पक्ष में देकर अंचल अधिकारी, बिरनी को दिनांक 30.12.2018 को समर्पित किया। अंचल अधिकारी, बिरनी ने दिनांक 26.03.2019 को एक अंतिम आदेश पारित किये, जिसमें उन्होंने अपना मंतव्य दिया कि 0.84 डी0 जमीन पर अपीलान्ट पोखन तेली के उत्तराधिकारी का कोई हक नहीं है।

उक्त मुकदमा में अपीलार्थी एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता को विस्तार से सुना। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अंचल अधिकारी, बिरनी को डालो तेली से सिर्फ एक उत्तराधिकारी के आवेदन पर इस तरह का अंतिम आदेश पारित नहीं करना चाहिए था। अंतिम आदेश पारित करना न्यायसंगत नहीं है। अंचल अधिकारी, बिरनी ने जो बंटवारा केश नं0 64/2000

के संबंध में अपना मंतव्य दिया है वह कानून के अनुसार नहीं है कारण व्यवहार न्यायालय में किसी भी पक्ष के विरूद्ध कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया बल्कि व्यवहार न्यायालय ने इस वाद को इसलिए खारिज किया कि कोई भी पक्ष मुकदमा में रूची नहीं लिए। हल्का कर्मचारी का प्रतिवेदन एवं उसके आधार पर अंचल अधिकारी, बिरनी का आदेश कानून के विरूद्ध है। यह भी कथन है कि कागजात के आधार पर एवं पंजी– II के आधार पर पूर्व से डालो तेली वो पोखन तेली के उत्तराधिकारी का नाम पंजी II में अंकित है जिसमें पोखन तेली के पंजी II में 5.76 एकड़ जमीन दिखाया गया है और उसी अनुसार दोनों पक्षों को रसीद निर्गत हो रहा था परंतु बाद में दोनों हिस्सेदार डालो तेली और पोखन तेली के उत्तराधिकारी का नाम एक ही जमाबंदी के पंजी में मिलाकर रसीद निर्गत होने लगा जो कि कोई गैरकानून नहीं है कारण दोनों पक्ष का हिस्सा बराबर दिखलाया गया है। परंतु स्थानीय कर्मचारी ने अपना प्रतिवेदन दिया है कि दोनों हिस्सेदार का नाम दोनों अलग–अलग जमाबंदी में दर्ज था। उसे बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति से दोनों हिस्सेदार का एक ही जमाबंदी में नाम चढ़ाया गया है जिस आधार पर अंचल अधिकारी, बिरनी ने संदेह व्यक्त किया जो कि गैरकानून है कारण सिर्फ दोनों का नाम एक जमाबंदी में कर देने से कोई गैरकानून कार्य नहीं है अगर उसमें किसी भी तरह का हेर–फेर होता तो संदेह किया जा सकता था।

प्रतिवादी नकूल साव द्वारा कारण पृच्छा दायर किया गया है। कारण पृच्छा में कहा गया है कि अंचल अधिकारी, बिरनी के न्यायालय में विविध वाद संख्या 7/2018 में नकूल साव के पक्ष में निर्णय पारित हुआ है। प्रश्नगत भूमि बकास्त खाते की है। खाता संख्या– 06, प्लॉट सं0– 567 कुल रकवा– 0.84 एकड़ सर्वे खतियान भीखन राम पोता नीलकंठ राम खेवट नं0– 1/1 के नाम से कब्जवारी दर्ज है। उक्त भूमि द्वितीय पक्ष के परदादा डालो नायक पिता हारो नायक को हासिल है एवं वर्ष 1954–55 से जमाबंदी दर्ज होकर लगान रसीद निर्गत है एवं दखल कब्जा भी है। माननीय व्यवहार न्यायालय, गिरिडीह के बंटवारा वाद संख 64/2000 में दिनांक 04.03.2004 को अपीलार्थी के आवेदन को खारिज किया गया है। अंचल अधिकारी बिरनी ने भी अपीलार्थी के दावा को गलत करार दिए है। कुल 10.78 एकड़ जमीन की कायम जमाबंदी को अवैध घोषित करते हुए स्थगित किया गया है और कायम जमाबंदी को संदेहास्पद माना गया है। अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किये हैं।

अपीलार्थी एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं संलग्न अंचल अधिकारी, बिरनी का आदेश एवं अन्य कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा– जितकुण्डी, थाना

नं0– 40, खेवट नं0– 1/1 का मालिक लगान पाने वाला निलकंठ राम बकब्जे भीखन राम का नाम खेवट में दर्ज है। प्रतिवादी द्वारा जिस हुकुनामा का उल्लेख है वह चमन राम द्वारा प्रतिपादित है। खेवट सं0– 1/1 निलकंठ राम के नाम से है। इस प्रकार दायर अपठनीय हुकुमनामा संदिग्ध प्रतीत होता है। बंटवारा केस नं0 64/2000 न्यायालय द्वारा पैरवी के अभाव में निरस्त किया गया है। न्यायालय का उक्त आदेश किसी भी पक्ष के विरूद्ध अथवा पक्ष में नहीं है। अतः अंचल अधिकारी, बिरनी का दिनांक 26.03.2019 को पारित आदेश से सहमत नहीं होने कारण रद्द किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।

26/8/20

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

26/8/20

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बगोदर–सरिया (गिरिडीह)